20 Rs COURT FEE 20 रु
भारत INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

॥ श्री ॥

निगरानी
R-1235-I/2010

माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल, ग्वालीयर
निगरानी अर्ज अन्तर्गत धारा 50 भू. रा. संहीता 1959 अनुसार :-

भोलाराम पिता हीराजी जाती जाट
निवासी ग्राम बडवई तहसील बदनावर
जिला धार म. प्र. --- प्रार्थी

वि

1. चतुरभुज पिता हीराजी जाती जाट
2. सजनबाई बेवा हीराजी जाती जाट
3. गीताबाई बेवा दयाराम जाती जाट

तीनो निवासी ग्राम बडवई तहसील बदनावर
जिला धार म. प्र. --- विपक्षी

महोदय,

प्रार्थी, माननीय राजस्व अपर आयुक्त महोदय इन्दौर संभाग इन्दौर के समक्ष मे के निगरानी प्रकरण क्रमांक 125/09-10 मे के आदेश दिनांक 18.8.10 जो कि श्रीमान कलेक्टर महोदय धार के समक्ष के निगरानी अर्ज क्रमांक 25/08-09 मे के आदेश दिनांक 20:3:09 से - उत्पन्न हुआ था जो कि श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय बदनावर के न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक 3 अ/07-08 x अ/ 27 आदेश दिनांक 5:6:08 से उत्पन्न हुआ था से दुःखी ओर अप्रसन्न होकर अपना यह - निगरानी अर्ज श्रीमान के समक्ष निम्न भूमिका एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है :-

01/09/10

1.9.10

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1235—एक / 10 **जिला** धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9—6—2016	आवेदक की ओर से श्री ओ0पी0 शर्मा, अभिभाषक द्वारा उपस्थित होकर बतलाया गया कि पक्षकार की ओर से उन्हें कोई निर्देश कार्यवाही करने के नहीं हैं, ऐसी स्थिति में उनकी उपस्थिति मान्य नहीं की जा सकती है । यह प्रकरण वर्ष 2010 से ग्राह्यता के बिन्दु पर तर्क हेतु लम्बित है । आवेदक की ओर से श्री महेन्द्र सुन्देचा, अभिभाषक द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने के उपरांत आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है । प्रकरण को देखने से यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण में निगरानी मेमों के साथ प्रश्नाधीन आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई है, और न ही सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करने से विमुक्ति हेतु म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 48 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार यह निगरानी विधि अनुसार प्रस्तुत नहीं होने से एवं आवेदक की अरूचि के कारण निरस्त की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	